

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

कैलाश चन्द्र शर्मा

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

45/2018/प्रा.पत्र/2018

06.07..2018

22.08.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1- श्री आदित्या पुरोहित पुत्र विष्णुकान्त पुरोहित जाति ब्राहमण निवासी वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स मुक्तेश्वरी कैंटीन गंगोत्री हॉस्टल के सामने वनस्थली विधापीठ केम्पस वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक

2- मैसर्स मुक्तेश्वरी कैंटीन गंगोत्री हॉस्पिटल के सामने वनस्थली विधापीठ केम्पस वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2-अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 22.08.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.04.2018 को समय 01.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मुक्तेश्वरी कैंटीन गंगोत्री हॉस्पिटल के सामने वनस्थली विधापीठ केम्पस वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री आदित्या पुरोहित पुत्र विष्णुकान्त पुरोहित जाति ब्राहमण निवासी वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स मुक्तेश्वरी कैंटीन गंगोत्री हॉस्टल के सामने वनस्थली विधापीठ केम्पस वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में दही (मिश्रित दूध से निर्मित) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर एफ.बी.ओ. श्री आदित्या पुरोहित को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता आदित्या पुरोहित एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में रखे दही (मिश्रित दूध से निर्मित) फीज में स्टील के एक भगोने में लगभग 5-6 किलोग्राम में से अच्छी तरह से हिला-मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर तौलने की मशीन से 800 ग्राम का चयन कर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री आदित्या पुरोहित को रू0 80/-अक्षरे अस्सी रुपये नगद

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



45
देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा दही (मिश्रित दूध से निर्मित) 800 ग्राम के 4 भाग तैयार कर चार साफ एवं सुखी कांच की शिशियों में बराबर-बराबर (प्रत्येक शिशी में 200 ग्राम) प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फारमेलिन की 16-16 बूंदें डालकर अलग-अलग ज्यों का त्यों डिब्बों के ढक्कन को एयर टाइट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-1889 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1889 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. आदित्या पुरोहित के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/1361 दिनांक 07.05.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/243/एक्ट/2018/249 दिनांक 26.04.2018 अनुसार आदित्या पुरोहित से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया दही (मिश्रित दूध से निर्मित) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा 49) अप्रार्थी श्री आदित्या पुरोहित पुत्र विष्णुकान्त पुरोहित जाति ब्राह्मण निवासी वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स मुक्तेश्वरी कैन्टीन गंगोत्री हॉस्टल के सामने वनस्थली विधापीठ केम्पस वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक पर शास्ति 3,000 (अक्षरे तीन हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



46
राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याया निर्णयन अधिकारी
आतोरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0